

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/स्त्री नेत्र परीक्षण/2010/695

भोपाल, दिनांक 16.07.2010

प्रति,

1. समस्त राष्ट्रीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला समन्वयक, मध्यप्रदेश।
4. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।

विषय - शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला को दिये गये निर्देशों की प्रति।

संदर्भ :-संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक एन.आर.

एच.एन./2010/8669, भोपाल, दिनांक 9.4.2010।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण किया जाता रहा है। इस वर्ष मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से समस्त विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण एवं दृष्टिदोष पाये जाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क चश्मा एवं दवा वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रम दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश को प्रेषित की गई है। सलगन-परिशिष्ट "एक"

नेत्र परीक्षण की प्रक्रियाएँ :- विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय स्तर पर बच्चों का नेत्र परीक्षण करेंगे तथा दृष्टिदोष वाले विद्यार्थियों को चिन्हित करेंगे। विकासखण्ड स्तर पर :- गतवर्ष की भौति विकासखण्ड स्तर पर शिविर का आयोजन कर दृष्टिदोष से चिन्हित विद्यार्थियों का गहन परीक्षण कर उन्हें "ए" तथा "बी" श्रेणी में विभक्त किया जायेगा।

ए" श्रेणी - जिन विद्यार्थियों का दृष्टिदोष चश्मा एवं दवाई से ठीक हो जाये उन्हें "ए" श्रेणी में रखा जावेगा।

"बी" श्रेणी - जिन विद्यार्थियों को विशेष उपचार एवं शल्य क्रिया की आवश्यकता है उन्हें "बी" श्रेणी में रखा जावेगा। इस श्रेणी के बच्चों की निकटस्थ जिला चिकित्सालय में विस्तृत जांच कराई जाये तथा यथासंभव उपचार एवं शल्य क्रिया की व्यवस्था की जावेगी।

समय-सारणी

स.क्र.	कार्य	तिथि
1	जिला स्तर पर डॉक्टर की अध्यक्षता में पूर्व तैयारी की बैठक का आयोजन	31 जुलाई 2010
2	शिक्षकों का प्रशिक्षण	15 अगस्त, 2010 तक
3	विद्यालय स्तर पर प्रारंभिक नेत्र परीक्षण	15 सितम्बर, 2010 तक
4	विकासखण्ड स्तर पर नेत्र परीक्षण का आयोजन "ए" श्रेणी के छात्रों को चश्मा एवं दवाईयों आदि उपलब्ध कराने के लिए। "बी" श्रेणी के छात्रों का उपचार चिन्हित करना।	30 सितम्बर, 2010 तक
5	नेत्र परीक्षण का फॉलोअप	नेत्र परीक्षण का फॉलोअप तब तक जारी रहेगा जब तक की विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण न हो जाए।
6	जिला स्तर पर विद्यालय वार रिपोर्ट तैयार करने	30 अक्टूबर, 2010 तक
7	चश्मा वितरण विकासखण्ड स्तर पर	14 नवम्बर, 2010

Formatted: Left

नेत्र परीक्षण तथा उपचार की मॉनिटरिंग-  
नेत्र परीक्षण आयोजन के सफल क्रियान्वयनक लिए संभाग स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर के स्वास्थ्य विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।


आई किट की व्यवस्था :-  
आवश्यकता अनुसार आई किट जिला स्तर से स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर विद्यालयों में उपलब्ध कराई जावेगी।

स्वास्थ्य अभिलेख -  
विद्यालय स्तर पर प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य अभिलेख रखा जाये तथा प्रत्येक परीक्षण एवं उपचार का विवरण दर्ज किया जाये।

## वित्तीय व्यवस्था


विद्यार्थियों के नेत्र परीक्षण तथा उपचार हेतु राशि की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग/रेडक्रस/स्वयं सहायता संस्थाओ/डी.बी.टी.एस द्वारा की जायेगी।

यह प्रयास किया जाये कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक सभी विद्यालयों में नेत्र परीक्षण तथा उपचार आदि कार्य अनिवार्यतः पूरा हो जाये। 14 नवम्बर को अनिवार्यतः विद्यार्थियों को चश्मा वितरण कार्य किया जाये। यह वितरण कार्य विकासखण्ड स्तर पर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर लिया जाये।

  
संचालक लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 07.10.2010

पृ.क्रमांक/विद्या/डी/नेत्र परीक्षण/2010/596  
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा।
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, प्र.शासन, चिकित्सा विभाग।
5. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं सतपुडा भवन, भोपाल।
7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
8. आयुक्त, आवासि विकास विभाग मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश।
10. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (एन.आर.एच.एम) मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. सचिव, इंडिया रेडक्रमास सोसायटी, मध्यप्रदेश।

  
संचालक लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुड़ा भवन,  
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. / एन.आर.एच.एम. / 2010 / 8669

भोपाल, दिनांक 09/04/10

प्रति,

✓ प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश,  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय वल्लभ भवन,  
भोपाल

विषय :- शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को दिये गये निर्देशों की प्रति।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 139/पी.एस./एस.ई.डी./2010 दिनांक 6/04/2010

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में लेख है कि विभाग द्वारा 1 जुलाई, 2009 से "स्कूल चलो अभियान के साथ स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम" प्रारंभ करने हेतु जारी किये गये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिये निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मे वितरण की योजना भी शामिल है।

जिलों को जारी किये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

CPJ  
8/2  
9.4.10

— [Signature] —  
(डॉ० ए.एन.मित्तल)  
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें  
[Signature] (एन.आर.एच.एम.)  
मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक /04/10

पृ.क्र. / एन.आर.एच.एम. / 2010 /

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें  
(एन.आर.एच.एम.)  
मध्यप्रदेश



N.P.C.B.

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्य प्रदेश

क्रमांक 4/दृ.नि./10/.....106

भोपाल, दिनांक :- 1/1/10

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
मध्य प्रदेश ।

विषय :- शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों का नेत्र परीक्षण एवं दृष्टिदोष पाये जाने वाले समस्त स्कूली छात्रों को निःशुल्क चश्मा प्रदाय करने बावत् ।

संदर्भ :- राज्य स्वास्थ्य समिति (राज्य स्वास्थ्य मिशन) की साधारण सभा की बैठक दिनांक

09.03.2010 के कार्यवाही विवरण ।

② का. नि. 4/दृ. नि. 10/106/2009 (दिनांक 23/1/2009) के दिनांक 1/1/10

जैसा कि आपको विदित है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के नेत्र परीक्षण की व्यवस्था है, साथ ही दृष्टिदोष पाये गये बी.पी.एल छात्रों को निःशुल्क चश्मा वितरण की व्यवस्था है ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशानुसार, इस वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग की मदद से अधिक से अधिक छात्रों का नेत्र परीक्षण किया जाना है । एवं दृष्टिदोष पाए जाने पर समस्त छात्रों को निःशुल्क चश्मा एवं दवाइयों का वितरण रेडक्रास निधि/डी.बी.सी.एस./स्वयंसेवी संस्था/स्कूली शिक्षा विभाग से किया जावे ।

योजना की कार्यवाही निम्नानुसार है :-

- सर्वप्रथम जिला स्कूली शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर, जिले में स्थापित समस्त शासकीय स्कूलों की एवं उनमें अध्ययनरत बच्चों की संख्या (कक्षावार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक) सूची तैयार करे ।
- प्रत्येक स्कूल के कम से कम दो शिक्षकों को विज्ञान पृष्ठभूमि वालों को प्राथमिकता देते हुए चिन्हित कर, छात्रों के नेत्र परीक्षण बावत्, प्रशिक्षण प्रदान करें । इस प्रकार प्रत्येक स्कूल में दो शिक्षक, नेत्र परीक्षण के लिये प्रशिक्षित होना सुनिश्चित करें ।
- नेत्र परीक्षण के अंतर्गत दृष्टिदोष (नन्दीक और दूर की वस्तुओं को साफ देखने में परेशानी) और भंगापन (क्रॉस आई)/एम्ब्लोपिया के लिए सभी बच्चों की जांच करना ।
- संदेहास्पद अन्य दृष्टि-दोष वाले बच्चों को दृष्टि दोष जांच हेतु पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नेत्र सहायक के पास भेजना ।
- "ए" श्रेणी के छात्रों को चश्मा उपलब्ध करवाना ।
- ("ए" श्रेणी - जिन विद्यार्थियों का दृष्टिदोष चश्मा एवं दवाइयों से ठीक हो जावे उन्हें "ए" श्रेणी में रखा जायेगा ।)
- "बी" श्रेणी के छात्रों का उपचार ।
- ("बी" श्रेणी - जिन विद्यार्थियों को विशेष उपचार एवं शल्यक्रिया की आवश्यकता है उन्हें "डी" श्रेणी में रखा जावेगा ।)

- प्रत्येक विद्यालय के प्रशिक्षित शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता/नत्र सहायक के सहयोग से विद्यालय स्तर पर बच्चों का प्रारंभिक नेत्र परीक्षण करेंगे तथा दृष्टिदोष वाले छात्रों को चिन्हित करेंगे । इस चिन्हित बच्चों का विकास खण्ड स्तर पर निश्चित तिथि में नेत्र चिकित्सक द्वारा परीक्षण करवाया जावे । परीक्षण उपरांत दृष्टिदोष पाये जाने वाले समस्त छात्रों को निशुल्क चश्मा प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करे । साथ ही अन्य बीमारी होने पर उनका संबंधित उपचार करवाये जाने की व्यवस्था की जाये ।

(डॉ. ए.एन. मित्तल)

संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्य प्रदेश

क्रमांक 4/दृ.नि./10/.....

भोपाल, दिनांक :- .....

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निज सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश शासन ।
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन ।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्य प्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति (दृष्टिहीनता नियंत्रण) म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. समस्त संभागीय सयुक्त संचालक, मध्य प्रदेश ।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी (दृष्टिहीनता नियंत्रण) द्वारा मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी मध्य प्रदेश ।

- 54 -

(डॉ. ए.एन. मित्तल)

संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक - आर. सी. एच./ 09/ 5692

भोपाल, दिनांक 23-06-09

प्रति,

1. समस्त जिलाध्यक्ष  
मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
मध्यप्रदेश

विषय:-01 जुलाई 2009 से स्कूल चलो अभियान के साथ स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में।

-00-

शासन स्तर पर निर्णय लिया है कि स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान के साथ 01 जुलाई 2009 से आयोजित किया जाए। स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में पूर्व में भी आपको विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा। आपसे यह अपेक्षा है कि संलग्न प्रारूप कार्यक्रम कैलेण्डर अनुसार अपने जिले की कार्ययोजना बनाए एवं कार्ययोजना अनुसार समस्त छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण 01 जुलाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रत्येक जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय प्राईमरी एवं मिडिल स्कूलों की सूची प्राप्त की जाये व स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या का आंकलन किया जाए। सूची अनुसार स्कूलों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कैलेण्डर बनाया जाए, जिससे प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार स्कूल के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण हो सके।

स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान बहुउद्देश्यी स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष/महिला स्कूल का भ्रमण करेंगे तथा स्कूल के शिक्षकों के सहयोग से स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड तैयार करेंगे तथा विद्यार्थियों की सूची बनाएंगे। बालिका स्कूलों में छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण महिला बहुउद्देश्यी स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा तथा बालकों के स्कूलों का स्वास्थ्य परीक्षण बहुउद्देश्यी स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष द्वारा किया जाए। बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता प्रत्येक छात्र से स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे तथा यदि कोई बीमारी के लक्षण है तो पूछताछ करेंगे तथा सामान्य परीक्षण करेंगे। यदि छात्र को कोई बीमारी नहीं है तो नाम के आगे सामान्य लिख देंगे, इस प्रकार बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रत्येक स्कूल के बीमार छात्रों की सूची बनाएंगे छात्र को रेफरल कार्ड प्रदान किये जाएंगे तथा बीमार बच्चों की सूची को क्षेत्र के निकट चिकित्सक को प्रस्तुत की जावेगी, जिससे चिकित्सक सूची अनुसार बीमार बच्चों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध कर सकें। बीमार बालिका छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण महिला चिकित्सक द्वारा किया जाए। यदि महिला चिकित्सक उपलब्ध न हो तो प्राईवेट महिला चिकित्सको की सेवाएँ भी लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष / महिला विजन टेस्ट करेंगे और यदि दृष्टि दोष पाया जाता है तो उन छात्रों की सूची बनाकर नेत्र सहायक को प्रेषित करेंगे, जिससे छात्र के चश्मे की जाँच की जा सके।

चिकित्साधिकारी बीमार स्कूली छात्रों का निशुल्क उपचार करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्तर पर उपलब्ध औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष/महिला को स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण मासिक बैठक के दौरान दिया जाए तथा स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण का कैलेण्डर बनाया जाए।

प्रत्येक माह लिए गए स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में (प्रपत्र के साथ संलग्न) में मासिक बैठक के दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खंड चिकित्साधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की संकलित कर समीक्षा करेंगे एवं संकलित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से अपेक्षा है कि वह जिला शिक्षा अधिकारी तथा खंड चिकित्साधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर शीघ्र निश्चित कार्ययोजना बनावें तथा स्वास्थ्य परीक्षण कैलेण्डर बनाकर उसकी एक प्रति संयुक्त संचालक, पब्लिक हेल्थ को प्रेषित करें।

रेफरल कार्ड का नमूना तथा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु रजिस्टर में पंजीयन सतग्न कर प्रेषित है।

(डॉ. मनोहर अगनानी)

0/c - स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक - आर. सी. एच./ 09/ 5693

भोपाल, दिनांक 23-06-09

प्रतिलिपि:-

1. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
2. संचालक, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय कार्यालय, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य शाखा, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन, सह अधीक्षक, जिला अस्पताल, मध्यप्रदेश।

0/c  
स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्यप्रदेश  
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

ए.आर.एस.एच / एन.आर.एच.एम / 2008-09 / 3465

दिनांक: 02/08/08

प्रति,  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
मध्यप्रदेश

विषय:- प्रदेश के शासकीय एवं आदिवासी प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिये शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme) के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश।

शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक (मिडिल) स्कूलों में क्रियान्वित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्प व्यय में बड़ी संख्या में बच्चों तक स्कूल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचा सकते हैं एवं बहुत सी बीमारियों के संबंध में समय पर रोग की पहचान होने से बच्चों का त्वरित इलाज कर उन्हें अनावश्यक परेशानी एवं बीमारियों से बचा कर स्वस्थ एवं निरोग रखा जा सकता है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक (मिडिल) स्कूल के 5-9 साल के विद्यार्थी तथा 10-14 साल के किशोर/किशोरियों को लक्ष्य समूह के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवर्ष वर्ष में एक बार माह अगस्त में किया जायेगा। फालोअप कर सितम्बर माह में यदि कोई बच्चे छूट गए हो तो उन्हें पूर्व सूचना देकर परीक्षण किया जावेगा। परीक्षण की संक्षिप्त जानकारी का रिकार्ड रखा जाए तथा आवश्यकतानुसार उपचार उपलब्ध कराते हुए रिकार्ड के आधार पर अपेक्षित पश्चातवर्ती कार्यवाही (Follow up) की व्यवस्था की जाए।

शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करना होगी:-

1. प्रतिवर्ष माह जुलाई के अंत तक सुनिश्चित करना कि आगामी शिक्षा सत्र में हर विकासखण्ड के लिये स्वास्थ्य परीक्षण की कार्ययोजना बन गई है।
2. स्वास्थ्य परीक्षण के लिये आवश्यक दवाईयां, आई.चार्ट, आवश्यक उपकरण एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री प्रत्येक बी.एम.ओ. तक उपलब्ध कराना।



3. निर्धारित दिनांक में ही परीक्षण दल द्वारा स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए और इसकी पूर्व सूचना स्कूलों में हो ताकि वहाँ के हेडमास्टर यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी विद्यार्थी उस दिन अनुपस्थित न रहे।
4. परीक्षण के पहले एवं उपरान्त बैठक कर के प्रगति की समीक्षा करना।

#### जिला स्तर पर बैठक का आयोजन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ब्लाक मेडिकल ऑफिसर की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बैठक में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (DEO) व जिला परियोजना समन्वयक (DPC) को भी आमंत्रित किया जाए। बैठक के दिन ही शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु विकास खण्ड स्तर पर क्रियान्वयन हेतु राशि जारी किया जाए।

#### स्वास्थ्य परीक्षण दल का गठन

ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक (मिडिल) शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण जिले में कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ता एम.पी.डब्लू (महिला/पुरुष) द्वारा किया जाएगा। छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण केवल बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।

शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण शहरी क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पर्याप्त उपलब्धता होने पर उनके द्वारा ही किया जाए अन्यथा गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठन की सहायता ली जा सकती है। गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठन का चयन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाए। आई.एम.ए./पीडियाट्रिक एसोसिएशन, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत आदि की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय एवं आदिवासी शालाओं के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में एक बार माह अगस्त में किया जाना है। अतः यह स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवर्ष 30 अगस्त तक पूर्ण हो जाना चाहिये। जिले के समस्त ब्लाक मेडिकल ऑफिसर द्वारा अपने एम.पी.डब्लू को अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण/सेवाएं देने हेतु निर्देशित किया जाए।

जिन क्षेत्रों में महिला एम.पी.डब्लू उपलब्ध न हों उनमें संबंधित बी.एम.ओ. द्वारा निकटस्थ महिला एम.पी.डब्लू को ऐसे क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दल बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए।

सभी आवंटित शालाओं में जाकर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए परिवहन व्यवस्था हेतु प्रत्येक एम.पी.डब्लू को रु.200-/- की एकमुश्त राशि बी.एम.ओ. द्वारा प्रदाय किया जाए।

### एम.पी.डब्लू का विकास खण्ड स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण

विकास खण्ड के अंतर्गत कार्यरत सभी बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (महिला तथा पुरुष) के द्वारा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है, जिसके लिए एम.पी.डब्लू (न./पु) की कौशल वृद्धि ब्लाक पी.एच.सी. स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण संबंधित बी.एम.ओ. के निर्देश में दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा जिला अस्पताल से विशेषज्ञों को भी भेजा जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को कम से कम 10 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रशिक्षकों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में होना सुनिश्चित किया जाए।

बी.एम.ओ. द्वारा प्रशिक्षण में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) तथा विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) को भी अनिवार्यतः आमंत्रित किया जाए। प्रशिक्षण से पूर्व बी.एम.ओ. द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी से शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की सूची ली जाकर प्रशिक्षण के दौरान समस्त एम.पी.डब्लू को उपलब्ध कराई जाए।

### स्वास्थ्य परीक्षण का कैलेंडर

प्रशिक्षण के दौरान ही विकास खण्ड के प्रत्येक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में शामिल स्कूलों में विद्यार्थियों के परीक्षण हेतु कैलेंडर (जिसमें शाला का नाम, स्वास्थ्य परीक्षण का दिन एवं समय शामिल हो) बनाया जाएगा जिसे बी.एम.ओ. के अनुमोदन उपरान्त पालन किया जाए।

बी.एम.ओ. द्वारा प्रत्येक एम.पी.डब्लू द्वारा तैयार किया गया दिनांकवार कैलेंडर बी.ई.ओ. तथा बी.आर.सी.सी. को उपलब्ध कराया जाकर उन्हें लेख किया जाए कि वे इसे समस्त शालाओं को, जन शिक्षक को उपलब्ध कराते हुए कार्यक्रम में सहयोग हेतु निर्देशित करें। बी.ई.ओ. तथा बी.आर.सी.सी. संबंधित शालाओं के प्रधानाध्यापक को भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक बताते हुए स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था तथा क्रियान्वयन में सहयोग करने हेतु निर्देशित करें। साथ ही वे शाला के पालक शिक्षक संघ को भी स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आमंत्रित करें। प्रधानाध्यापक एवं पालक शिक्षक संघ यह भी सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य परीक्षण के दिन सभी बच्चे शाला समय में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित रहें।

कार्यकर्ताओं द्वारा भी शालाओं को परीक्षण तिथि की पूर्व में ही सूचना दी जाएगी। अनुमोदित कैलेंडर की प्रति संबंधित बी.एम.ओ. द्वारा कैलेंडर का संकलन कर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा खण्डवार संकलन कर परीक्षण का कैलेंडर जिलाध्यक्ष को भी भेजा जाए।

### प्रचार-प्रसार

परीक्षण की पूर्व सूचना स्कूलों में हो ताकि वहाँ के हेडमास्टर/शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी विद्यार्थी उस दिन अनुपस्थित न रहे। शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण

का पूर्व में ही प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर लगाए जाएं। जिले स्तर पर संलग्न पोस्टर प्रारूप को आवश्यक मात्रा में मुद्रण कराकर प्रत्येक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भेजा जावेगा। पोस्टर मुद्रण हेतु आर.सी.एच. कार्यक्रम के तहत आई.ई.सी./बी.सी.सी. मद में आवंटित राशि का उपयोग किया जाए।

एम.पी.डब्लू द्वारा पोस्टर, सूचना पटल पर, संबंधित कक्षा के श्याम पटल पर परीक्षण के कुछ दिनों पूर्व ही लगा दिया जाएगा। प्रार्थना के समय इस बारे में बार-बार सूचना दी जाए।

### मेडिकल किट

प्रत्येक एम.पी.डब्लू को मेडिकल किट प्रदान किया जाना है। किट के अंतर्गत निम्न सामग्री होगी :-

1. वजन मापने का उपकरण एम.पी.डब्लू द्वारा आंगनवाड़ी से प्राप्त किया जाएगा।
2. विद्यार्थियों के नेत्र परीक्षण हेतु आई चार्ट अथवा स्थाई रूप से विद्यालय में दीवार पर उस अनुसार लिखा भी जा सकता है, जिसे अलग अलग दूरी पर पढ़े जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
3. आवश्यक दवाइयां जैसे आयरन फॉलिक एसिड गोलियाँ, एलबेंडाजोल, खाज-खुजली हेतु क्रीम, विटामिन ए आदि जो जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर संग्रहित किया जाएगा।
4. ऊँचाई नापने के लिए फीता अथवा दीवार पर तय रूप में मीटर को अंकित किया जा सकता है।
5. क्लोरीन की गोली/ ब्लीचिंग पाउडर

दवाईयाँ एवं उपकरणों की व्यवस्था अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं राज्य बजट से उपलब्ध आवंटन से व्ययस्था की जाकर विकास खण्ड स्तर पर आवश्यकतानुसार वितरण किया जाए।

### कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवायें:-

1. नाक कान एवं गले की जांच
2. खुजली (scabies) का उपचार
3. कुष्ठ एवं अन्य चर्न रोग की जांच
4. आँखों की जांच
5. पीलिया की जांच
6. दाँतों की जांच
7. रक्त अल्पता
8. क्षय रोग हेतु चिन्हित लक्षणों के आधार पर बच्चे को प्रेषित करना
9. विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग
10. किशोरियों में माहवारी की समस्या- महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अथवा ए.एन.एम. द्वारा ही किया जाए।

## 11. पोषण आहार एवं व्यक्तिगत स्वच्छता पर सलाह

सामान्य बीमारियाँ पाए जाने पर निशुल्क त्वरित इलाज किया जाए। जिन विद्यार्थियों को किसी विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता है उन्हें संबंधित विशेषज्ञ के पास रेफर कर निशुल्क इलाज किया जाए। विद्यार्थियों को संबंधित उपकरण (जैसे चश्मा, हियरिंग एड, कैलिपर आदि) निशुल्क प्रदान किया जाए। कैलिपर की व्यवस्था शिक्षा विभाग से किया जा रहा है।

### रेफरल सेवार्यः--

स्वास्थ्य जांच के समय यदि चिकित्सक किसी विद्यार्थी को विशेष जांच अथवा इलाज के लिये रेफर करने की आवश्यकता महसूस करेगा तो रेफरल कार्ड में भरकर उस विद्यार्थी के नोडल शिक्षक/शिक्षिका को देगा तथा यह भी बताएगा कि विद्यार्थी को किस चिकित्सा संस्था में लेकर जाना है। नोडल शिक्षक/शिक्षिका की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पालक शिक्षक संघ को रेफर किए गए सभी बच्चों के रेफरल कार्ड सौंपे। पालक शिक्षक संघ की यह जिम्मेदारी होगी कि वह रेफर किए गए विद्यार्थियों को इलाज हेतु रेफर किए गए संस्था में ले जाए।

इस प्रकार रेफर किये गये विद्यार्थी के परीक्षण एवं इलाज की विशेष व्यवस्था चिकित्सा संस्थाओं में की जायेगी। यदि इन बच्चों को किसी और बड़ी चिकित्सा संस्था में रेफर करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसकी व्यवस्था भी संबंधित चिकित्सक द्वारा की जावेगी।

रेफर किये गये विद्यार्थी का रिकार्ड चिकित्सा संस्था द्वारा भी पृथक से रखा जावेगा। इसके अंतर्गत ऑपरेटिव (शल्य चिकित्सा) एवं अन्य उपचार भी निशुल्क उपलब्ध किया जाए।

एम.पी.डब्लू द्वारा शालाओं में पुनः भ्रमण (follow-up visit) कर रेफर किए गए विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई या नहीं इसकी पुष्टि किया जाएगा।

### प्रधानाध्यापक/शिक्षक की भूमिका:

1. प्रधानाध्यापक/हेडमास्टर द्वारा एक शिक्षक का चयन किया जाएगा जिसे प्रेषित किए गए विद्यार्थियों के रेफरल कार्ड को पालक शिक्षक संघ को सौंपने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
2. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु स्थान प्रदान करना तथा बच्चों को एकत्रित करने का कार्य स्कूल शिक्षक द्वारा किया जायेगा।
3. स्वास्थ्य परीक्षण हेतु संपूर्ण व्यवस्था की जायेगी।
4. एम.पी.डब्लू द्वारा प्रेषित (रेफर) किये गये विद्यार्थियों को संबंधित चिकित्सालय ले जाने की जिम्मेदारी पालक शिक्षक संघ की होगी।

### मेडीकल रिकार्ड:-

1. एम.पी.डब्लू द्वारा परीक्षण किए गए विद्यार्थियों का रिकार्ड एक रजिस्टर में किया जाएगा। रिकार्ड रजिस्टर का प्रारूप संलग्न है। प्रत्येक शाला का रिकार्ड पृथक रखा जाएगा।
2. जिला एवं ब्लाक स्तर पर अलग से शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदाय दवाइयों एवं अन्य सामग्री का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

### रिपोर्टिंग फारमेट प्रारूप:-

अलग - अलग स्तर पर अलग - अलग रिपोर्टिंग प्रारूप भरे जावेंगे। रिपोर्ट्स भेजने में समयावधि का विशेष ध्यान रखा जाना है। अगस्त माह में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है अतः सितम्बर की 5 तारीख तक रिपोर्ट प्रत्येक एम.पी.डब्लू द्वारा संबंधित ब्लाक मेडिकल ऑफिसर को प्राप्त हो एवं 8 तारीख तक प्रत्येक ब्लाक मेडिकल ऑफिसर से जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्राप्त हो। प्रत्येक जिले से रिपोर्ट संचालनालय स्वास्थ्य को माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो।

### मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन:

मानिटरिंग एवं सुपरविजन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में, विकासखण्ड स्तर एस.डी.एम./तहसीलदार की अध्यक्षता में, की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी, डी.पी.सी., विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक तथा जनशिक्षक द्वारा मॉनिटरिंग में सहयोग किया जाएगा। इस आशय के आदेश जिलाध्यक्ष के हस्ताक्षर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम में समय - समय पर विशेष रुचि रखने वाले, कलेक्टर द्वारा चुने गए स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि समय-समय पर विशेष रूप से आमंत्रित किए जा सकते हैं।

जिला शालेय स्वास्थ्य परीक्षण नोडल अधिकारी - प्रत्येक जिले में शालेय स्वास्थ्य परीक्षण नोडल अधिकारी नामांकित कर उसका नाम, पद, पता, फोन नम्बर ई.मेल सहित संचालनालय को भिजवाया जायेगा।

### बजट प्रावधान:

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्रम में गतिशीलता बनाए रखने के लिये पेट्रोल/डिजल व्यवस्था, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण तथा रोग निदान के लिये औषधि व्यवस्था एवं अन्य विविध व्यय हेतु प्रति जिला प्रतिवर्ष निम्नानुसार आवंटित किया जाता है:

क्र.	गतिविधि	गणना आधार	का	उत्तरदायित्व	टीप
1	स्वास्थ्य परीक्षण के रिकार्ड रजिस्टर हेतु	रु.20 शाला	प्रति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी	प्रत्येक जिले द्वारा परिशिष्ट 'ब' में उल्लेखित बच्चों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर रजिस्ट्रों का उपाार्जन

2	रेफरल कार्ड मुद्रण हेतु	प्रति कार्ड रु 0.50 कुल परीक्षण किए गए गए बच्चों म अनुमानित लगभग 1 प्रतिशत बच्चे प्रेषित हाने	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	जिला स्तर पर किया जाए अथवा खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को आवंटन जारी कर खण्ड स्तर पर उपार्जन हेतु निर्देशित करें। जिले स्तर पर परिशिष्ट 'ब' में उल्लेखित (अनुमानित) संख्या अनुसार जिला स्तर पर मुद्रण कराकर सभी खण्डों में वितरित किया जाए।
3	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा शाला में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने हेतु परिवहन की व्यवस्था बाबत	प्रति कार्यकर्ता रु200/- (अपने क्षेत्र के सभी प्रा.एव उ.प्रा. शालाओं में सेवाएं प्रदाय हेतु)	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी/ खण्ड चिकित्सा अधिकारी	सी.एम.एच.ओ द्वारा आवंटन खण्ड चिकित्सा अधिकारी को जिला कार्ययोजना स्वीकृति के एक सप्ताह के अंदर किया जाए।
4	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु	रु 15,000/- प्रति विकासखण्ड	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी/ खण्ड चिकित्सा अधिकारी	विकास खण्ड वार राशि जारी किया जाए।
5	कंटनजेंसी	रु.1000/- प्रति विकास खण्ड	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	सी.एम.एच.ओ द्वारा आवंटन संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को जारी किया जाएगा।

हालत में स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधिवार राशि आवंटन परिशिष्ट 'ब' में उल्लेखित है। सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को जिले पर बैठक आयोजित कर एक विस्तृत कार्ययोजना (Micro Plan) तैयार करे।

संलग्न:

1. परिशिष्ट-1 - शालेय स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्टर का प्रारूप
2. परिशिष्ट-2 - जिलेवार एवं गतिविधिवार राशि आवंटन
3. परिशिष्ट-3 - प्रतिवेदन प्रारूप
4. परिशिष्ट-4 - रेफरल कार्ड का प्रारूप
5. परिशिष्ट-5 - वर्ष 2008-09 का कार्यक्रम कलेंडर

*Alles*

स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश


*[Signature]*


आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र



प्रतिलिपि सूचनाार्थ

1. प्रमुख लघु, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश शासन
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, वल्लभ भवन, भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
5. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश
6. संचालक, स्वास्थ्य भोपाल / विकित्सा सेवार / लोक स्वास्थ्य / आई ई सी
7. आयुक्त संचालक (आर.सी.एच. / एन.आर.एच.एम)
8. समस्त सहायक आयुक्त
9. समस्त जिलाध्यक्ष
10. समस्त सहायक आयुक्त संचालक
11. शिक्षक राजन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक - विकित्सकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं रिफर विद्यार्थियों के लिए निशुल्क उपचार की व्यवस्था करना हेतु
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच. / एन.आर.एच.एम, मध्यप्रदेश-शावश्यक कार्यवाही हेतु
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी शिक्षा विभाग की ओर भ्रजकर निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस पत्र व निर्देश की प्रति उपलब्ध कराए।
14. समस्त जिला परियोजना सहायक जिला शिक्षा केन्द्र को उर भ्रजकर निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त विकास खण्ड सहायक को इस पत्र व निर्देश की प्रति उपलब्ध कराए।

  
स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश

  
आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र